रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052026-272930
CG-DL-E-29052026-272930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948
No. 374] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISHTHA 6, 1948

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

सा.का.नि. 415(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) में,—

(i) खंड (ज) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(ज क) "लाभ रहित संगठन" का वही अर्थ होगा जो इसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 के विनियम 292क के खंड (ङ) में है।';

(ii) खंड (ट) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(1) "शून्य कूपन शून्य मूल लिखत" से ऐसा लिखत अभिप्रेत है जिसे प्रतिभूति घोषित किया गया हो और जिसे किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज भाग में रजिस्ट्रीकृत लाभ रहित संगठन द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार जारी किया गया हो।'।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"4 क. शून्य कूपन शून्य मूल लिखत के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व का कार्यान्वयन.—

(1) कोई कंपनी शून्य कूपन शून्य मूल लिखत के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप संचालित कर सकेगी :

परंतु यह कि, ऐसे लिखत पर किया गया व्यय उस वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित कंपनी के कुल कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) वह कंपनी जिसने शून्य कूपन शून्य मूल लिखत में अभिदान किया है, ऐसे लिखत द्वारा वित्तपोषित किसी परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन करने से छूट प्राप्त होगी।

(3) शून्य कूपन शून्य मूल लिखत जारी करने तथा उससे निधि जुटाने वाला लाभ रहित संगठन—

(क) ऐसे शून्य कूपन शून्य मूल लिखत की निर्गमन तारीख से, आगामी तीन वित्तीय वर्षों से अधिक अवधि की परियोजना आरंभ नहीं करेगा; और

(ख) ऐसे शून्य कूपन शून्य मूल लिखत के सूचीबद्धता की समाप्ति पर, अप्रयुक्त रकम को अधिनियम की अनुसूची 7 में सम्मिलित किसी निधि में अंतरित करेगा और उसका अनुपालन प्रतिवेदन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा;

(4) नियम 4 के उपबंध, उप-नियम (5) और उप-नियम (6) के सिवाय, शून्य कूपन शून्य मूलधन लिखत के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यान्वयन पर लागू होंगे।"

[ई-फा. सं. सीएसआर-10/13/2025-सीएसआर-एमसीए]

राहुल जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129(अ), तारीख 27 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ), तारीख 12 सितंबर, 2014, सा.का.नि. 43(अ), तारीख 19 जनवरी, 2015, सा.का.नि. 540(अ), तारीख 23 मई, 2016, सा.का.नि. 895(अ), तारीख 19 सितंबर, 2018, सा.का.नि. 526(अ), तारीख 24 अगस्त, 2020, सा.का.नि. 40(अ), तारीख 22 जनवरी, 2021, सा.का.नि. 715(अ), तारीख 20 सितंबर, 2022 और सा.का.नि. 452(अ), तारीख 7 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2026

G.S.R. 415(E).— In exercise of the powers conferred by section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in the sub-rule (1), -

(i) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely: -

'(ha) "Not for Profit Organization" has the same meaning as in clause (e) of regulation 292A of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.';

(ii) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely: -

'(l) "zero coupon zero principal instrument" means an instrument declared as a security that is issued by a Not for Profit Organization registered with the Social Stock Exchange segment of a recognised Stock Exchange in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board of India.'.

3. In the said rules, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:-

"**4A Corporate Social Responsibility implementation through zero coupon zero principal instrument**.-

(1) A company may carry out Corporate Social Responsibility activities through a zero coupon zero principal instrument:

Provided that the expenditure incurred for such instrument shall not exceed ten percent of the total Corporate Social Responsibility expenditure of such company for that financial year.

(2) The company that has subscribed in a zero coupon zero principal instrument shall be exempted from undertaking impact assessment of any project funded by such an instrument.

(3) The Not for Profit Organisation issuing the zero coupon zero principal instrument and raising fund therefrom shall -

(a). undertake a project with a duration not more than three succeeding financial years from the issue of such zero coupon zero principal instrument; and

(b). on termination of listing of such zero coupon zero principal instrument, transfer the unspent amount to any fund included in Schedule VII to the Act and submit its compliance report to the Securities Exchange Board of India;

(4) The provisions of rule 4, except sub-rules (5) and (6) shall be applicable to the implementation of Corporate Social Responsibility through a zero coupon zero principal instrument."

[e-F. No. CSR-10/13/2025-CSR-MCA]

RAHUL JAIN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 129(E), dated the 27th February, 2014 and subsequently amended by notification numbers G.S.R. 644(E), dated the 12th September, 2014, G.S.R. 43(E), dated the 19th January, 2015, G.S.R. 540(E), dated the 23rd May, 2016, G.S.R. 895(E), dated the 19th September, 2018, G.S.R. 526(E), dated the 24th August, 2020, G.S.R. 40(E), dated the 22nd January, 2021, G.S.R. 715(E), dated the 20th September, 2022 and G.S.R. 452(E), dated the 7th July, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.05.29 15:34:16 +05'30'